

**“ रियायतें, परमिटया के प्राप्तकर्ता के विवरण, लोक
प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत अनुदान ”**

(सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 4 (1) (बी) (xiii) के अंतर्गत)

“ निरंक ”